न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 69 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 118)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बलतेज कौर पत्नी तारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 47 जीजी तहसील पदमपुर हाल आबाद चक 3 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 2. कर्मजीत कौर पत्नी गुरदयाल सिंह पुत्री तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 1 सीसी तहसील पदमपुर। 3. परमजीत कौर पत्नी जसवीर सिंह पुत्री तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 4. रमनप्रीत सिंह पुत्र सुखजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नई धानमण्डी घडसाना तहसील व जिला अनुपगढ।		1. धर्मजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी डी डेलवां तहसील पदमपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92ए, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 06.05.2024

उपस्थितः 1. श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री कुलदीप सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

—निर्णय—

दिनांकः 21.06.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी गुलावेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/60 के मुरब्बा नम्बर 33, 39/14 की कुल 3.285 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के पति/पिता/दादा तारा सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम 1.261 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण के पति/पिता/दादा तारा सिंह पुत्र बलवीर सिंह का देहान्त दिनांक 07.04.2024 को हो चुका है। जिनके वैध वारिसान बलतेज कौर(पत्नी), कर्मजीत कौर(पुत्री), धर्मजीत सिंह(पुत्र), सुखजीत सिंह(मृतक पुत्र), तथा परमजीत कौर(पुत्री) ही है। इनके सुखजीत सिंह तथा उसकी पत्नी गुरविन्द्र कौर का देहान्त हो चुका है। इनका एकमात्र वारिस उनका पुत्र रमणप्रीत सिंह है। इनके अलावा तारा सिंह के अन्य कोई वारिस नहीं है। वादीगण के पति/पिता/दादा तारा सिंह पुत्र बलवीर सिंह का देहान्त हो जाने के पश्चात उनके नाम की समस्त चल/अचल सम्पति तथा वादगत भूमि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विरास्तन उनके वैध वारिसान अर्थात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा प्राप्त हो चुकी है। तदानुसार ही वादीगण उक्त भूमि के बाबत विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। तारा सिंह के वडे पुत्र धर्मजीत सिंह प्रतिवादी संख्या 1 जो कि तारा सिंह के साथ हर समय झगडा करता रहता था, उन्हे मारने तक की फिराक में रहता था, को तारा सिंह द्वारा आज से करीबन 35 वर्ष पूर्व उसे हिस्सा सम्पति आदि देकर अलग कर दिया था। जो अपना तमाम हिस्सा आदि लेकर अपने परिवार सहित चक 4 डीडी डेलवा तहसील पदमपुर में आबाद हो गया। तारा सिंह के देहान्त उपरान्त वादीगण को पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 ने मृतक तारा सिंह के नाम की उक्त भूमि का वसीयत के आधार पर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाने का प्रयास कर रहा है। इसकी जानकारी होने पर वादीगण ने खोजबीन की और पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक फर्जी वसीयत सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह तथा छिन्द्रपाल कौर पत्नी जरनैल सिंह के साथ साजबाज होकर, तारा सिंह जो कि हस्ताक्षर करते थे, के नाम से किसी अज्ञात का अंगूठा लगा कर कूटरचित वसीयत रच कर नामान्तरण के लिए आवेदन किया हुआ था। जबकि तारा सिंह ने उक्त भूमि की कोई वसीयत किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित नहीं करवाई गई, वे अक्टूबर 2023 से ही लगातार वादिया संख्या 1 व 3 के साथ ही रहे। वे लगातार बीमार थे, इस दौरान एक भी रोज प्रतिवादी उनका पता तक करने नहीं आया। यदि प्रतिवादी संख्या 1 आरम्भतः शून्य एंव कूटरचित वसीयत के आधार पर अपने नाम करवाने में सफल हो गया तो वादीगण का अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए वादीगण, प्रतिवादी के विरूद्व वादगत भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एंव अपने नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु दावा ला पाने के अधिकारी है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/60 के मुरब्बा नम्बर 33, 39/14 की कुल 3.285 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के पति/पिता/दादा तारा सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम 1.261 हैक्टेयर भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज किए जाने के आदेश पारित कर वादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1/5-1/5 हिस्सा खातेदार घोषित किया जावे। व उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादगत भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह ने कैवियट प्रस्तुत कर रखी थी। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता को सूचित किया गया। वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है। इसलिए पत्रावली आज पेशी में ली जाकर निस्तारण किया जावे। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में राजीनामा पेश किया। प्रस्तुत राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा के अनुसार चक 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/60 में मृतक तारा सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम दर्ज 1.261 हैक्टेयर भूमि में से हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपना-अपना 1/5 हिस्सा अपनी माता वादी संख्या 1 बलजीत कौर को ही देना चाहते है। उक्त भूमि हमारी माता के नाम दर्ज कर दी जावे। तो इस पर हमारा कोई एतराज नहीं है। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सीपीसी पर राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजीनामा व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/60 के मुरब्बा नम्बर 33, 39/14 की कुल 3.285 हैक्टेयर भूमि में मृतक तारा सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम दर्ज 1.261 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 1 बलतेज कौर पत्नी तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 47 जीजी को घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

बलतेज कौर आदि बनाम धर्मजीत सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 92ए, 188 आरटीए
मुकदमा नम्बर **69/2024**

निर्णय दिनांक :- 21.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/60 के मुरब्बा नम्बर 33, 39/14 की कुल 3.285 हैक्टेयर भूमि में मृतक तारा सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम दर्ज 1.261 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 1 बलतेज कौर पत्नी तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 47 जीजी को घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे।
आज दिनांक 21.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

दिनांक: 21.06.2024

क्रमांक: रीडर/2024/313

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर